

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक—

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10-06-2020

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर।
2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय छिन्दवाड़ा।
3. विशेष न्यायाधीश (अज्ञा०अजजा {अ०नि०}अधिनियम) प्र०अ०जि०न्या०के प्र०अति०जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा।
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा/सौंसर/अमरवाड़ा/पांडुर्णा
7. अपर जिला न्यायाधीश सौंसर/अमरवाड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सौंसर/अमरवाड़ा
8. प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 छिंदवाड़ा/
सौंसर/अमरवाड़ा/चौरई/परासिया/जुन्नारदेव
9. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 परासिया की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, परासिया/
10. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 छिंदवाड़ा/
अमरवाड़ा/चौरई/परासिया/जुन्नारदेव/सौंसर/पांडुर्णा
11. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश चौरई
12. शृंखला न्यायालय हरई/तामिया
13. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के प्रथम/तृतीय/षष्ठम
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा की ओर
कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 101/102 छिंदवाड़ा, दिनांक 18-6-2020 की छायाप्रति आपके ईमेल पते पर प्रेषित की गई है। अतः उक्त संबंध में सूचना आपकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
15. फाइलिंग सेक्शन जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा।
16. प्रशासनिक अधिकारी, छिंदवाड़ा
17. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ छिन्दवाड़ा/पांडुर्णा/सौंसर/अमरवाड़ा/चौरई/परासिया/हरई/तामिया
जुन्नारदेव की ओर कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 101/102 छिंदवाड़ा दिनांक 18-6-2020 की छायाप्रति आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(बीएस०भदौरिया)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा (म०प्र०)

व/व

९

1

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाडा (म0प्र0)
कार्य विभाजन आदेश

छिन्दवाडा, दिनांक 18-06-2020

क्रमांक 101 / एक-11-3/2010

मैं बी0 एस0 भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाडा, म0प्र0, सिविल कोर्ट अधिनियम 1958 की धारा-15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दं0प्र0सं0 1973 की धारा 194, 381 (2) और धारा 400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये; इस संबंध में पूर्व में प्रसारित/प्रचारित समस्त आवेशों को अतिष्ठित (Separation) करते हुये, इस न्यायिक जिला स्थापना छिन्दवाडा में पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के समस्त न्यायाधीशों के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों का तथा अन्य सभी सिविल न्यायाधीशों के मध्य सिविल कार्य का विभाजन दिनांक 22.06.2020 से लागू करता हूँ, जो कि आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा :-

क्रमांक	न्यायालय का नाम व स्थान	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवायी कर निराकरण किया जाना है।
(1)	(2)	(3)	(4)
1(अ)	सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाडा	सत्र खण्ड छिन्दवाडा	<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. आपराधिक प्रकरणों के अंतरण हेतु धारा 408, 409 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदनपत्र। 5. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय-16 के अधीन संस्थित होने वाले प्रकरण। 6. दं0प्र0सं0 की धारा 438 एवं 439 के अधीन प्रस्तुत प्रतिमूति आवेदन पत्र (अजा0अजजा0[अ0नि0]अधि0 1989, एनडीपीएस एक्ट, विद्युत अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाडा/सौसर/जुन्नारदेव में प्रस्तुत आवेदन पत्रों को छोड़कर) 7. अन्य आपराधिक प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

1(अ- I)	म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण, 2000 (नं.16/2001) के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश	छिंदवाड़ा सेशन खण्ड	1. म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
1(अ- II)	औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940(1940 का 23)की धारा 36 क ख की उपधारा 1 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश	छिंदवाड़ा सेशन खण्ड	1. अपमिश्रित औषधि या नकली औषधियों से संबंधित अपराधों के मामलों में विचारण करने हेतु जो उक्त अधि० की धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग) धारा 28, धारा 28(क) धारा 28(ख) तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय है।
1(ब)	जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	सिविल जिला छिंदवाड़ा	1. तहसील छिंदवाड़ा, मोहखेड़, परासिया, उमरेठ क्षेत्र के रुपये 1,00,000.01/- (रुपये एक करोड़ एक) एवं अधिक मूल्यांकन के ए एवं बी श्रेणी के सांपत्तिक प्रकरण। 2. टेडमार्क एक्ट एवं कापीराइट एक्ट में अपील के अधीन प्रस्तुत होने वाले वाद। 3. लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं रेफरेंस। 4. मू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-64, 65 के अधीन निर्देश/कलेक्टर्स कथन। 5. अमरवाड़ा, सींसर, पांडुर्णा, जुन्नारदेव तहसील को छोड़कर शेष सभी अधीनस्थ न्यायालय अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 द्वारा पारित ऐसे निर्णय व जयपत्र जिनमें म0प्र0 शासन, नगर निगम, नगर पालिका, स्थानीय निकाय व प्राधिकरण के विरुद्ध स्वामित्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के जयपत्र पारित किये जावे, उनके विरुद्ध धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन अपील। (यदि व्यवहार न्यायालय में वाद खारिज किया गया है तो उसकी अपील उसी

		<p>न्यायालय में होगी, जिसका उल्लेख एतद् पश्चात् कार्य विभाजन पत्रक में किया गया है।</p> <p>6. अमरवाड़ा, सौसर, जुन्नारदेव तहसील को छोड़कर शेष सभी अधीनस्थ न्यायालय अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 द्वारा पारित ऐसे आदेश अंतर्गत आदेश-39 नियम-1 व 2 जिनमें अस्थायी निषेधाज्ञा म0प्र0शासन, नगर निगम, नगर पालिका, स्थानीय निकाय व प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जावे के विरुद्ध आदेश-43 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध अपील। (यदि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन खारिज किया गया है तो उसकी अपील उसी न्यायालय में होगी, जिसका उल्लेख एतद् पश्चात् कार्य विभाजन पत्रक में किया गया है।)</p> <p>7. धारा-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले विविध सांपत्तिक प्रकरण।</p> <p>8. भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के मामलों से उदभूत होने वाली अपीलें।</p> <p>9. उपरोक्त सभी मामलों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।</p> <p>10. अन्य व्यवहार प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्र में नहीं है तथा जो जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।</p> <p>11. उपरोक्त सभी मामलों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।</p> <p>13. प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, छिंदवाड़ा के निर्णय/आज्ञापित तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित एवं विविध सिविल अपीलें।</p>
1(स)-	सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, छिंदवाड़ा	<p>तहसील छिंदवाड़ा</p> <p>1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर</p>

	तहसील-छिन्दवाड़ा।		घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन।
2अ.	विशेष न्यायाधीश (अजा0अजजा0 [अत्याचार निवारण] अधिनियम) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा	सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा	<p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र।</p> <p>2(अ). जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति [अत्याचार निवारण] अधिनियम 1989 के प्रकरण।</p> <p>2(ब). उक्त मामलों से संबंधित रिमाण्ड कार्यवाही व प्रतिभूति आवेदन आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे तथा उनके द्वारा ही उनका निराकरण किया जावेगा।</p> <p>3. उपरोक्त क्रमांक-2अ से संबंधित सभी प्रतिभूति आवेदनपत्र इसी न्यायालय में पेश किये जायेंगे।</p> <p>4- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत वे मामले जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ0नि0) अधिनियम 1989 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की धारारें भी है।</p> <p>5-उक्त मामलों से संबंधित रिमाण्ड कार्यवाही व प्रतिभूति आवेदन आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे तथा उनके द्वारा ही उनका निराकरण किया जावेगा।</p>
2ब-	प्रथम अपर जिला न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त जिला	सिविल जिला छिन्दवाड़ा	1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सांपत्ति वाद नियमित एवं विविध सांपत्तिक अपीलें।

	न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	<p>2. उपरोक्त सभी मामलों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।</p> <p>3. भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ध्वंसस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-64, 65 के अधीन निर्देश/कलेक्टर्स कथन।</p> <p>टीप- माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में प्राप्त होने वाले प्रकरण ही। (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 67/पी0आर0(जे)/2018 जबलपुर दिनांक 03-05-18 अनुसार)।</p>
2स-	प्र0अ0स0मो0दु0दा0 अधि0 के प्र0अति0स0 छिन्दवाड़ा	<p>1. जिला न्यायाधीश द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा समय-समय पर अंतरित अन्य सभी ऐसे दावा।</p> <p>2. ऐसे अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावाधिकरण जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं; किन्तु पूर्व के किसी सुसंगत समय में कार्यरत थे और वर्तमान में रिक्त है; ऐसे सभी निराकृत मामलों के निष्पादन, अन्य अनुषंगिक भुगतान आदि की कार्यवाहियां जो कि अधिनिर्णय के बाद की, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद की हों।</p>
3अ.	<p>प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्र खण्ड एवं धारा 3 छिन्दवाड़ा</p> <p>(1) भ्रष्टा0 निवा0 अधि0 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश छिन्दवाड़ा द0प्र0सं0 की धारा 9 की उपधारा-3 के अधीन, छिन्दवाड़ा</p>	<p>1. सेशन न्यायाधीश द्वारा अंतरित सेशन प्रकरण, विशेष प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, अन्य विविध कार्यवाहियों तथा वे कार्यवाहियों, जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों।</p> <p>2. ऐसे अपर सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के न्यायालय, जो वर्तमान में रिक्त हैं; किन्तु पूर्व के किसी सुसंगत समय में कार्यरत थे; उनमें माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाहियों का निष्पादन, विविध एवं अनुषंगिक कार्यवाहियां। ऐसे मामलों की अन्य कार्यवाहियां जो समय-समय पर आवश्यक हों।</p> <p>3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष आपराधिक प्रकरण, सभी जमानत आवेदनपत्र, अन्य विविध कार्यवाहियों</p>

		जो उनके न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों से उत्पन्न होती हैं।
3ब-	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य। 2. ऐसे अपर जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के न्यायालय, जो वर्तमान में रिक्त हैं; किन्तु पूर्व के किसी सुसंगत समय में कार्यरत थे; उनमें माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाहियों का निष्पादन, विविध एवं अनुषंगिक कार्यवाहियां। ऐसे मामलों के निष्पादन व अन्य विविध कार्यवाहियां। 3. चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 छिंदवाड़ा/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, छिंदवाड़ा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 छिंदवाड़ा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 छिंदवाड़ा के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम अति० न्यायाधीश (ट्रेनी जज) द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञाप्ति तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित एवं विविध सिविल अपीलें।
3स-	प्र०अ०स०मो०दु०दा० अधिकरण छिन्दवाड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित क्लेम मामले। 2. लोक अदालत के कार्य।
4 ब	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	रिक्त न्यायालय
4 ब	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	रिक्त न्यायालय
4 स	प्र०अ०स०मो०दु०दा० अधिकरण छिन्दवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	रिक्त न्यायालय

5 अ.	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश			1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक मामले। 2. लोक अदालत के कार्य।
5 ब-	द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा			1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल मामले। 2. लोक अदालत के कार्य।
5 स-	द्वि०अति० स०मो०दु०दा० अधिकरण छिंदवाड़ा			1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित वलेम मामले। 2. लोक अदालत के कार्य।
6अ.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट 2009 की धारा 9 की उपधारा-3 के अधीन, छिंदवाड़ा/विशेष न्यायाधीश (एनआईए एक्ट)	सत्र छिंदवाड़ा	खण्ड	1. सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र मामलों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों। 2. लोक अदालत के कार्य। 3. स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित सभी जमानत आवेदनपत्र, अन्य विविध आवेदनपत्र, प्रकरण एवं कार्यवाहियों। 4. एनआईए एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदनपत्र एवं उनसे संबंधित अन्य विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों।
6 ब-	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा	सिविल जिला छिंदवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों। 2. लोक अदालत के कार्य। 3. रुपये 501/- से रुपये 1000/- तक मूल्य के लघुवाद (मोप्रो सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनके उत्पन्न निष्पादन वाद। 4. माध्यस्थता अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन एक्ट, 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकायें। (केवल तहसील छिंदवाड़ा, परासिया क्षेत्र से संबंधित) 5. भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-64, 65 के अधीन निर्देश/कलेक्टर्स कथन।

			<p>टीप- माह मई, जून, जुलाई, अगस्त में प्राप्त होने वाले संबंधी प्रकरण ही। (माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 67/पी०आर०(जे) /2018 जबलपुर दिनांक 03-05-18 अनुसार)।</p>
6 स-	<p>तृतीय अतिरिक्त सदस्य म००दु०दा०अधिकरण छिन्दवाड़ा</p>	<p>तहसील परासिया, मोहखेड़ा, उमरेठ</p>	<p>1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन। 2. लोक अदालत के कार्य।</p>
7 अ-	<p>चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा</p>		<p>1. सेशन न्यायाधीश द्वारा अंतरित सेशन प्रकरण, विशेष प्रकरण, दायिदक अपील, दायिदक पुनरीक्षण, अन्य विविध कार्यवाहियों तथा वे कार्यवाहियों, जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों। 2. षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की न्यायालय, जो पोक्सो एक्ट हेतु विशेष न्यायालय नामित होने से उक्त न्यायालय के पोक्सो एक्ट के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य सत्र प्रकरणों से संबंधित माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाहियों का निष्पादन, विविध एवं अनुसंगिक कार्यवाहियां।</p>
7 ब-	<p>चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा</p>		<p>1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य कार्यवाहियों। 2. प्रत्येक माह होने वाली स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का कार्य जब शृंखला न्यायालय जुन्नारदेव कार्यरत हो और अन्यथा न्यायालय पंचम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा उस दिन अवकाश पर हो। 3. षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की न्यायालय, जो पोक्सो एक्ट हेतु विशेष न्यायालय नामित होने से वर्तमान में सिविल</p>

			कार्य हेतु रिक्त हैं की माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाहियों का निष्पादन, विविध एवं अनुषंगिक कार्यवाहियां।
7 स-	चतुर्थ अतिरिक्त सदस्य मो0दु0दा0अधिकरण छिन्दवाड़ा		1. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण छिन्दवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 2. षष्ठम अतिरिक्त सदस्य मो0दु0दा0अधिकरण छिन्दवाड़ा की न्यायालय, जो पोक्सो एक्ट हेतु विशेष न्यायालय नामित हेन से वर्तमान में क्लेम कार्य हेतु रिक्त है की माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाहियों का निष्पादन, विविध एवं अनुषंगिक कार्यवाहियां।
8 अ-	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा एवं विद्युत अधि0 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 153 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (म0प्र0विधि और विधायी विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17/(ई)/83/03/21/ब(एक)/625/2020 अनुसार)	तहसील छिन्दवाड़ा एवं परासिया समस्त पुलिस थाना/चौकी के क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन मामले।	1. सेशन न्यायाधीश द्वारा अंतरित सेशन प्रकरण, विशेष प्रकरण, दायिदक अपील, दायिदक पुनरीक्षण, अन्य विविध कार्यवाहियों तथा वे कार्यवाहियों, जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हैं। 2. विद्युत अधि0 2003 की धारा 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियों जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हैं। 3. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के कार्य।
8 ब-	पंचम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा	सिविल जिला छिन्दवाड़ा (तहसील पांडुर्णा, चौरई के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्रों को छोड़कर)	1. रू0 1,00,00,001/- एवं ऊपर मूल्य के समस्त सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल वाद जो कि तहसील परासिया, उमरेठ के क्षेत्राधिकार से संबंधित हो। 2. न्यायालय मध्यस्थ अधिनियम द्वारा पारित निर्णय/डिक्री से उत्पन्न निष्पादन वाद एवं निष्पादन के सर्टिफिकेट न्यायिक जिला छिन्दवाड़ा, संपूर्ण मध्यप्रदेश व अन्य प्रांतों से प्राप्त होने वाले प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अध्याय 7 एवं 8 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।

		<p>4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, छिंदवाड़ा द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें।</p> <p>5. नू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-64, 65 के अधीन निर्देश/कलेक्टर्स कथन।</p> <p>टीप- माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में प्राप्त होने वाले प्रकरण ही।(माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 67/पी0आर0(जे)/2018 जबलपुर दिनांक 03-05-18 अनुसार)।</p> <p>6. रू0 501/-से रू0 1000/-तक के मूल्य के लघुवाद (म0 प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद।</p> <p>7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामले एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>8. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 परासिया, प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 छिंदवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश परासिया, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 परासिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 परासिया द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञापित तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित एवं विविध सिविल अपीलें।</p> <p>9. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 परासिया, प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 छिंदवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश परासिया द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें।</p>
8 स-	पंचम अतिरिक्त सदस्य मो0दु0वा0अधिकरण छिंदवाड़ा	1. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य।
9 अ.	षष्ठम अपर सत्र सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा (एक्सकलूसिव कोर्ट फॉर रजिस्ट्री अखिलूना पोक्सो एक्ट 2012 क्रमांक बी/279 केसेस) दिनांक 14.01.2020	1. सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित मामलों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों। 2. लोक अदालत के कार्य। 3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण।

<p>के अनुसार तहसील अमरवाड़ा, चौरई, हर्ई, अमरवाड़ा से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर समस्त सत्र खंड छिंदवाड़ा के पोक्सो एक्ट प्रकरण)</p>	<p>अधिनियम 2012 में प्रस्तुत होने वाले विशेष सत्र प्रकरण, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग एवं बलात्संग व सामूहिक बलात्संग सहित मृत्यु के सभी प्रकरण (तहसील अमरवाड़ा, चौरई, हर्ई, चांद क्षेत्र में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) उनमें माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार, दिवारण योग्य विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां तथा सभी जमानत आवेदनपत्र एवं उक्त प्रकरणों से संबंधित अन्य समस्त संबंधित कार्यवाहियों। (ऐसे प्रकरण जो सीधे एकमात्र विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवा.) अधिनियम 1989, के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले हैं या उन्हीं के समक्ष दिवारण योग्य हो, को छोड़कर।)</p>
<p>9 ब. षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा</p>	<p>रिक्त न्यायालय</p>
<p>9 स. षष्ठम अतिरिक्त सदस्य मो०दु०दा० अधिकरण छिंदवाड़ा</p>	<p>रिक्त न्यायालय</p>
<p>10 अ. अपर सत्र न्यायाधीश, सत्र खण्ड सौसर एवं विद्युत छिंदवाड़ा की अधि० 2003 (2003 की तहसील सौसर संख्या 38) की धारा बिछुआ के समस्त 153 (1) के अंतर्गत आरक्षी केंद्र एवं विशेष न्यायाधीश संबंधित (म०प्र०विधि और चौकियों एवं विधायी विभाग की तहसील सौसर, अधिसूचना फा. क्रमांक बिछुआ एवं पांडुर्णा के समस्त 17/(ई)/83/03/21/ब(एक)/625/2020 अनुसार) थाना/चौकी के क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन मामले।</p>	<p>1. सौसर न्यायालय द्वारा उपार्पित सत्र प्रकरण प्रस्तुत किये जावेगे, इसी प्रकार न्या०मजि० प्र०श्रे० सौसर एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट सौसर द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश तथा आदेशों से उत्पन्न क्रमशः दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक सुसंगत आदेश पारित करेंगे। सेशन प्रकरण, दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण का पंजीयन प्रत्येक रविवार प्रस्तुतकार प्रकरण लाकर सेशन न्यायालय में संघारित पंजियों में करेंगे तथा अंतरण आदेश प्राप्त करेंगे। 2. सुसंगत समय के अपर सेशन न्यायाधीश, सौसर/शृंखला न्यायालय, सौसर द्वारा निराकृत प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां एवं अपील न्यायालयों के रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां। 3. सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक रिविजन एवं विविध दांडिक कार्यवाहियां।</p>

		4. विद्युत अधि० 2003 की धारा 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियाँ जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों।
10 ब-	अपर जिला न्यायाधीश, सिविल जिला छिंदवाड़ा तहसील साँसर	<p>1. ₹0 1,00,00,001/- एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलों जो तहसील साँसर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हों।</p> <p>2. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें।</p> <p>3. म०प्र० स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी साँसर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>4. माध्यस्थम अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकाएँ। (केवल तहसील साँसर क्षेत्र से संबंधित)</p> <p>5. म०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएं।</p> <p>6. ₹0 501/- से ₹0 1000/- तक के मूल्य के लघुवाद (म०प्र० सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद।</p> <p>7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य।</p> <p>8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>9. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही।</p> <p>11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही।</p> <p>12. साँसर में कार्यरत सभी सिविल जज वर्ग-1, वर्ग-2 के द्वारा सिविल वाद में दिये जाने वाले निर्णय, विविध मामलों के आदेश, ग्राम न्यायालयों द्वारा पारित आदेश व निर्णय के विरुद्ध अपील, विविध अपील (जिनके बारे में इस कार्य विभाजन आदेश में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है)।</p>

				<p>13. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 सौसर के न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें।</p> <p>14. सुसंगत समय के अपर जिला न्यायाधीश, सौसर/शृंखला न्यायालय सौसर द्वारा निराकृत सभी सिविल/अनुपूरक/ नियमित कार्यवाहियों के आदेश/जयपत्रों का निष्पादन आदि।</p> <p>15. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।</p>
10 स-	अतिरिक्त मोटरयान सौसर	सदस्य दु0दा0अधि0	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील सौसर एवं बिछुआ क्षेत्र में स्थित सभी पुलिस थाना क्षेत्राधिकार।	<p>1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रमादशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन।</p> <p>2. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां।</p> <p>3. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य।</p> <p>4. अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सौसर (शृंखला न्यायालय), द्वारा निराकृत क्लेम मामलों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के कार्य।</p>
11 अ.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सौसर न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सौसर	सत्र छिंदवाड़ा लोधीखेड़ा, मोहगांव समस्त केंद्र एवं चौकियां	खण्ड के आरक्षी संबंधित	<p>1. सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक रिविजन एवं विविध दांडिक कार्यवाहियां।</p>
11 ब-	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सौसर न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सौसर	सिविल जिला छिंदवाड़ा की तहसील बिछुआ	जिला की	<p>1. ₹0 1,00,00,001/- एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलों जो तहसील बिछुआ के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हों।</p> <p>2. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें।</p>

		<p>3. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बिछुआ द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील।</p> <p>4. माध्यस्थम अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकाएँ। (केवल तहसील बिछुआ क्षेत्र से संबंधित)</p> <p>5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएं।</p> <p>6. ₹0 501/-से ₹0 1000/- तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद।</p> <p>7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य।</p> <p>8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>9. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही।</p> <p>11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही।</p> <p>12. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।</p>
11 स-	<p>अतिरिक्त सदस्य क्षेत्राधिकार। मोटरवाहन दुर्घटना अधिनियम 1988 की न्यायालय के अतिरिक्त सदस्य सौंसर सिविल जिला के छिंदवाड़ा लोधीखेड़ा, मोहगांव के समस्त आरक्षी केंद्र एवं संबंधित चौकियाँ</p>	<p>1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरवाहन अधिनियम के प्राक्धान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन।</p> <p>2. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियाँ।</p>

11 द	अपर सत्र न्यायाधीश, पांडुर्णा	सत्र खण्ड छिंदवाड़ा की पांडुर्णा तहसील के समस्त आरक्षी केंद्र एवं संबंधित चौकियाँ	<p>3. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित वलेम प्रकरण एवं अन्य कार्य।</p> <p>4. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के कार्य।</p> <p>1. पांडुर्णा न्यायालय द्वारा उपापिंत सत्र प्रकरण प्रस्तुत किये जावेगे, इसी प्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांडुर्णा एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट पांडुर्णा द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश तथा आदेशों से उत्पन्न क्रमशः दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक सुसंगत आदेश पारित करेंगे। सेशन प्रकरण, दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण का पंजीयन प्रत्येक रविवार प्रस्तुतकार प्रकरण लाकर सेशन न्यायालय में संधारित पंजियों में करेंगे तथा अंतरण आदेश प्राप्त करेंगे।</p> <p>2. सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक रिविजन एवं विविध दांडिक कार्यवाहियों।</p>
11 इ	अपर जिला न्यायाधीश, पांडुर्णा	सिविल जिला छिंदवाड़ा की तहसील पांडुर्णा	<p>1. ₹ 1,00,00,001/- एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलों जो तहसील पांडुर्णा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हों।</p> <p>2. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें।</p> <p>3. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पांडुर्णा द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>4. माध्यस्थ अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकायें। (केवल तहसील पांडुर्णा क्षेत्र से संबंधित)</p> <p>5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएं।</p> <p>6. ₹ 501/- से ₹ 1000/- तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद।</p> <p>7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य।</p> <p>8. हिन्दू अयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>9. हिन्दू वत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के</p>



		<p>अंतर्गत प्रस्तुत वाद ।</p> <p>10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद ।</p> <p>11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही ।</p> <p>11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही ।</p> <p>12. पांडुर्णा में कार्यरत सभी सिविल जज वर्ग-1, वर्ग-2 के द्वारा सिविल वाद में दिये जाने वाले निर्णय, विविध मामलों के आदेश, ग्राम न्यायालयों द्वारा पारित आदेश व निर्णय के विरुद्ध अपील, विविध अपील (जिनके बारे में इस कार्य विभाजन आदेश में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है) ।</p> <p>13. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 पांडुर्णा के न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें ।</p> <p>14. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले ।</p>	
11 उ	<p>अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दुर्घटना अधि 0 पांडुर्णा</p>	<p>सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील पांडुर्णा क्षेत्र में स्थित सभी पुलिस थाना क्षेत्राधिकार ।</p>	<p>1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन ।</p> <p>2. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां ।</p> <p>3. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य ।</p> <p>4. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के कार्य ।</p>
12 अ.	<p>अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा (एक्सक्लूसिव कोर्ट फॉर पोक्सो एक्ट 2012 केसेस)</p>	<p>सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा, हरई, चौरई (रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी/279</p>	<p>1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में प्रस्तुत होने वाले सत्र प्रकरण, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग एवं बलात्संग व सामूहिक बलात्संग सहित मृत्यु के सभी प्रकरण (तहसील अमरवाड़ा, हरई एवं चौरई के अंतर्गत आने वाले समस्त थानों से</p>

	दिनांक 14.01.2020 के अनुसार तहसील अमरवाड़ा, चौरई से संबंधित पोक्सो प्रकरण)	उद्धृत प्रकरण) उनमें माननीय अपीलिय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार, विचारण योग्य विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां। (ऐसे प्रकरण जो सीधे एकमात्र विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवा.) अधिनियम 1989, के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले हैं या उन्हीं के समक्ष विचारण योग्य हो, को छोड़कर।)	
12 ब-	अपर जिला न्यायाधीश अमरवाड़ा	रिक्त न्यायालय	
12 स-	अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दु०दा०अधि० अमरवाड़ा	रिक्त न्यायालय	
13 अ.	अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अमरवाड़ा एवं विद्युत अधि० 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 153 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (म०प्र०विधि और विधायी विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17/(ई)/83/03/21/ब(एक)/625/2020 अनुसार)	सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा, हरई के सभी आरक्षी केन्द्र एवं समस्त चौकियां एवं तहसील अमरवाड़ा एवं हरई के समस्त पुलिस थाना/चौकी क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन मामले।	<p>1. अमरवाड़ा, हरई की समस्त न्यायालयों द्वारा उपापित सत्र प्रकरण प्रस्तुत किये जावेंगे, इसी प्रकार न्या०नजि० प्र०श्रे० अमरवाड़ा, हरई एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अमरवाड़ा, हरई द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश तथा आदेशों से उत्पन्न क्रमशः दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक सुसंगत आदेश पारित करेंगे। सेशन प्रकरण, दांडिक अपीलें एवं दांडिक पुनरीक्षण का पंजीयन प्रत्येक रविवार प्रस्तुतकार प्रकरण लाकर सेशन न्यायालय में संधारित पंजियों में करेंगे तथा अंतरण आदेश प्राप्त करेंगे।</p> <p>2. सुसंगत अपर सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा द्वारा निराकृत प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियों एवं अपील न्यायालयों के रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियों।</p> <p>3. सेशन न्यायाधीश द्वारा अंतरित सेशन प्रकरण, विशेष प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, अन्य विविध कार्यवाहियों तथा वे कार्यवाहियों, जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों।</p> <p>4. अमरवाड़ा, हरई क्षेत्र के समस्त थानों से उद्भूत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 153 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हो।</p>

		5. अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) अमरवाड़ा द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त कार्यवाहियां।
13 ब-	अपर जिला न्यायाधीश अमरवाड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अमरवाड़ा	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा, हरई
		<ol style="list-style-type: none"> 1. ₹0 1,00,00,001/- एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलें जो तहसील अमरवाड़ा, हरई के क्षेत्राधिकार के हों। 2. दिवालियां अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें। 3. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी अमरवाड़ा, हरई द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें। 4. माध्यस्थम अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकायें। (केवल तहसील अमरवाड़ा, हरई क्षेत्र से संबंधित) 5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएं। 6. ₹0 501/- से ₹0 1000/- तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य। 8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। 9. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। 10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। 11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही। 11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही। 12. श्रृंखला न्यायालय हरई के सभी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आज्ञाति तथा आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें।

		<p>13. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, वर्ग-2 अमरवाड़ा के सभी न्यायालय के सभी न्यायालय द्वारा पास्ति निर्णय आझरि तथा आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें।</p> <p>14. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 अमरवाड़ा के न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें।</p> <p>15. अपर जिला न्यायाधीश (फा.ट्रै.को.) अमरवाड़ा एवं सुसंगत अपर जिला न्यायाधीश अमरवाड़ा, द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां।</p>
13 स-	<p>अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दुर्घटना अधि० अमरवाड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त सदस्य अमरवाड़ा</p>	<p>सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा, हरई क्षेत्र में स्थित सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्राधिकार एवं समस्त चौकियां।</p> <p>1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्राक्धान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन।</p> <p>3. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां।</p> <p>4. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य।</p> <p>5. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य।</p> <p>6. अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा</p>

			अधिकरण(फा.ट्रै.को.)अमरवाड़ा एवं सुसंगत अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अमरवाड़ा द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां। 6. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।
14 अ	अपर सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा जुन्नारदेव एवं विद्युत अधि० 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 153 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (म०प्र०विधि और विधायी विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17/(ई)/83/03/21/ब(एक)/625/2020 अनुसार)	सत्र खण्ड छिंदवाड़ा की तहसील जुन्नारदेव, तामिया के समस्त आरक्षी केंद्र एवं संबंधित चौकियों एवं तहसील जुन्नारदेव एवं तामिया के समस्त पुलिस थाना/चौकी के क्षेत्रों उद्भूत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन मामले।	1. तहसील जुन्नारदेव एवं तामिया की समस्त न्यायालयों द्वारा उपापत्त सत्र प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे, इसी प्रकार न्या०मजि० प्र०श्रे० जुन्नारदेव एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट जुन्नारदेव द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश तथा आदेशों से उत्पन्न क्रमशः दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक सुसंगत आदेश पारित करेंगे। सेशन प्रकरण, दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण का पंजीयन प्रत्येक रविवार प्रस्तुतकार प्रकरण लाकर सेशन न्यायालय में संघारित पंजियों में करेंगे तथा अंतरण आदेश एवं अन्य संबंधित प्रकरण प्राप्त करेंगे। 2. सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक रिविजन एवं विविध दांडिक कार्यवाहियां। 3. सुसंगत समय के अपर सेशन न्यायाधीश, जुन्नारदेव/शृंखला न्यायालय, जुन्नारदेव द्वारा निराकृत प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां एवं अपील न्यायालयों के रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां एवं अन्य समस्त कार्यवाहियां। 4. विद्युत अधि० 2003 की धारा 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हैं।
14 ब.	अपर जिला न्यायाधीश, सिविल छिंदवाड़ा तहसील जुन्नारदेव	जिला की तहसील जुन्नारदेव, तामिया	1. ₹0 1,00,00,001/-एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलों जो तहसील जुन्नारदेव, तामिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हों। 2. दिवालियां अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें। 3. म०प्र० स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा पारित

14 स -	अतिरिक्त	सदस्य सिविल जिला	<p>आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>4. माध्यस्थ अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 38 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकाएँ। (केवल ताहसील जुन्नारदेव/दनुआ/तामिया क्षेत्र से संबंधित)</p> <p>5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएँ।</p> <p>6. रू0 501/-से रू0 1000/- तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद।</p> <p>7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य।</p> <p>8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>9. हिन्दू पत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही।</p> <p>11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही।</p> <p>12. जुन्नारदेव एवं तामिया में कार्यरत एवं पूर्व में कार्यरत रही हों ऐसी सभी सिविल जज वर्ग-1, वर्ग-2 के द्वारा सिविल वाद में दिये जाने वाले निर्णय, विविध मामलों के आदेश, ग्राम न्यायालयों द्वारा पारित आदेश व निर्णय के विरुद्ध अपील, विविध अपील (जिनके बारे में इस कार्य विभाजन आदेश में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है)।</p> <p>13. समस्त सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा भारतीय उत्ताधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें।</p> <p>14. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।</p> <p>15. सुसंगत समय के अपर जिला न्यायाधीश, सौंसर/श्रृंखला न्यायालय सौंसर द्वारा निराकृत सभी सिविल/अनुपूरक/ नियमित कार्यवाहियों के आदेश/जयपत्रों का निष्पादन आदि।</p> <p>1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन।</p>
--------	----------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>मोटरयान दुर्घटना अधिनियम 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 153 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (मोटर अधिनियम और विधायी विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 / (ई) / 83 / 03 / 21 / ब(एक) / 825 / 2020 अनुसार)</p>	<p>छिन्दवाड़ा की तहसील जुन्नारदेव, तामिया क्षेत्र में स्थित सभी आरक्षी केंद्र एवं चौकियां।</p>	<p>दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर पड़ित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां। 3. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 4. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के कार्य। 5. सुसंगत अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जुन्नारदेव एवं शृंखला न्यायालय जुन्नारदेव, द्वारा निराकृत क्लेम मामलों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां।
<p>15 अ</p>	<p>अपर सत्र न्यायाधीश, चौरई एवं विद्युत अधिनियम 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 153 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (मोटर अधिनियम और विधायी विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 / (ई) / 83 / 03 / 21 / ब(एक) / 825 / 2020 अनुसार)</p>	<p>सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा की तहसील चौरई, चोंद के सभी आरक्षी केंद्र एवं समस्त चौकियां एवं तहसील चौरई एवं चोंद के समस्त पुलिस थाना/ चौकी के क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन मामले।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. चौरई की समस्त न्यायालयों द्वारा उपार्पित सत्र प्रकरण प्रस्तुत किये जावेंगे, इसी प्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, चौरई द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश तथा आदेशों से उत्पन्न क्रमशः दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक सुसंगत आदेश पारित करेंगे। सेशन प्रकरण, दांडिक अपीलें एवं दांडिक पुनरीक्षण का पंजीयन प्रत्येक रविवार प्रस्तुतकार प्रकरण लाकर सेशन न्यायालय में संघारित पंजियों में करेंगे तथा अंतरण आदेश प्राप्त करेंगे। 2. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले। 3. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों। 4. सेशन न्यायाधीश द्वारा अंतरित सेशन प्रकरण, विशेष प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, अन्य विविध कार्यवाहियां

15 ब	अपर जिला न्यायाधीश, चौरई	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील चौरई, चौंद	<p>तथा वे कार्यवाहियों, जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रू0 1,00,00,001/-एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलें जो तहसील चौरई, चौंद के क्षेत्राधिकार के हों। 2. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें। 3. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी चौरई द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें। 4. माध्यस्थम अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकायें। (केवल तहसील चौरई, चौंद क्षेत्र से संबंधित) 5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएं। 6. रू0 501/-से रू0 1000/- तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य। 8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। 9. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। 10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। 11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही। 11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही। 12. समस्त सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, वर्ग-2 चौरई के सभी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आज्ञाति तथा आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें। 13. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, चौरई के न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार
------	-----------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें। 14. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।
15 स	अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दुर्घटना अधि० चौरई	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील चौरई, घांद क्षेत्र में स्थित सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्राधिकार एवं समस्त चीकियां।	1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन। 3. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां। 4. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 5. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 6. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।
16.	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, छिंदवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल मामले एवं अन्य कार्य। 2. दिवालिया वाद। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। 4. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 (1) तथा 172 (1) और (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 5. ग्राम न्यायालय (जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ

		<p>हो) द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध धारा 31(क) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका।</p> <p>6. ₹0 500/- तक के मूल्य के लघुवाद (न०प्र०सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद।</p> <p>7. प्रथम सिविल न्याया० वर्ग-1 छि० के न्याया० के अति० न्यायाधीश, छि० द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहिया एवं अपीलीय न्यायालय के रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां।</p> <p>8. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 के ऐसे सभी न्यायालय, जो रिक्त हैं; उन न्यायालयों से निर्णीत मामलों की सभी सुसंगत, अनुषंगिक, निष्पादन आदि कार्यवाहियां, अपीलीय न्यायालय से प्राप्त ऐसे मामलों में अपीलीय आदेश का निष्पादन।</p> <p>9. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत का कार्य।</p>
17	<p><u>द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, छिंदवाड़ा</u></p>	<p>1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों।</p> <p>2. लोक अदालत के कार्य।</p> <p>3. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट को आवंटित समस्त कार्य। (न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, छिंदवाड़ा के दौर अथवा अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में)</p>
18.	<p><u>तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, छिंदवाड़ा</u></p> <p><u>रिक्त न्यायालय</u></p> <p>न्यायाधिकारी, (सिविल जिला ग्राम न्यायालय, छिंदवाड़ा/छिंदवाड़ा) राजस्व तथा रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट तहसील छिंदवाड़ा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायत तथा अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक छिंदवाड़ा की</p>	<p>1. ₹0 25,000/- तक मूल्य के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) के अंतर्गत सिविल मामलों, निष्पादन वाद एवं विविध सिविल मामला।</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) के अंतर्गत अंतरित सिविल मामलों, निष्पादन वाद एवं विविध सिविल मामलों।</p> <p>3. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट से संबंधित आवंटित समस्त कार्य।</p> <p>4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के</p>

	जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है (छिंदवाड़ा ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की सीमा के भीतर आने वाली स्थानीय क्षेत्राधिकार सम्मिलित नहीं होगा)	अवकाश पर रहने की दशा में उनसे संबंधित समस्त कार्य। 5. प्रोटोकॉल ड्यूटी। 6. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों, विविध प्रकरण तथा अन्य कार्यवाहियां।
19	चतुर्थ सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, छिंदवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा, मोहखेड	1. रुपये 5,00,001/- से रु0 1,00,00,000 तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों। 3. लोक अदालत के कार्य।
20.	पंचम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, छिंदवाड़ा	1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों। 2. लोक अदालत के कार्य।
21.	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, छिंदवाड़ा	1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों। 2. लोक अदालत का कार्य। 3. प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, छिंदवाड़ा के द्वितीय/चतुर्थ/पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्री जज) छिंदवाड़ा द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद कार्यवाहियां तथा अपीलीय न्यायालयों से वापस प्राप्त प्रकरण की कार्यवाहियां।

22.	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 छिन्दवाड़ा तहसील छिन्दवाड़ा	1. रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामले। 2. जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ। 3. लोक अदालत का कार्य।
23.	तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 छिन्दवाड़ा	1. जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ। 2. लोक अदालत का कार्य।
24.	चतुर्थ सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 छिन्दवाड़ा	रिक्त न्यायालय
25.	पंचम सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, छिन्दवाड़ा तहसील मोहखेड़	1. रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामले। 2. जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ। 3. लोक अदालत का कार्य। 4. चतुर्थ/षष्ठम/सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 छिन्दवाड़ा द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद कार्यवाहियाँ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापस प्राप्त प्रकरण की कार्यवाहियाँ।
26.	षष्ठम सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, छिन्दवाड़ा	रिक्त न्यायालय
27.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 छिन्दवाड़ा के न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) छिन्दवाड़ा	1. जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ। 2. लोक अदालत के कार्य।
28.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 छिन्दवाड़ा के न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) छिन्दवाड़ा	रिक्त न्यायालय।
29.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 छिन्दवाड़ा के न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी)	1. जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ। 2. लोक अदालत के कार्य।

	जज) छिंदवाड़ा	
29 ए	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 छिंदवाड़ा के न्याया0 के षष्ठम अति0 न्यायाधीश (ट्रेनी जज) छिंदवाड़ा	1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों। 2. लोक अदालत के कार्य।
30	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 छिंदवाड़ा के न्याया0 के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश (ट्रेनी जज) छिंदवाड़ा	रिक्त न्यायालय।
31	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 छिंदवाड़ा के न्याया0 के पंचम अति0 न्यायाधीश (ट्रेनी जज) छिंदवाड़ा	रिक्त न्यायालय।
32.	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, अमरवाड़ा	तहसील अमरवाड़ा, हरई
	तहसील अमरवाड़ा, हरई के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्र को छोड़कर	1. रुपये 5,00,001/- से रुपये 1,00,00,000 /- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामले। 2. दिवालिया प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। 4. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 (1) तथा 172 (1) और (2) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 5. रु0 500/- तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं निष्पादन वाद। 6. ग्राम न्यायालय (जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्वा रा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध धारा 31(क) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका। 7. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, अमरवाड़ा के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश, अमरवाड़ा द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहियां एवं अपीलिय न्यायालय के रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां। 8. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामलों एवं अन्य कार्यवाहियां। 9. लोक अदालत का कार्य। नोट :- जिस अवधि में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अमरवाड़ा, श्रृंखला न्यायालय के रूप में हरई में कार्यरत रहेगी, उक्त अवधि में तहसील अमरवाड़ा के रुपये 1/-

			से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद एवं अन्य कार्य एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अमरवाड़ा की न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य।
33	सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, अमरवाड़ा	तहसील अमरवाड़ा	<p>1. रुपये 1/- से रुपये 5,00,000 /- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामले।</p> <p>2. जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां।</p> <p>3. लोक अदालत का कार्य।</p> <p>नोट :- जिस अवधि में शृंखला न्यायालय हर्षे कार्यरत नहीं रहेगी, उक्त अवधि में तहसील हर्षे के रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यों में पीठासीन अधिकारी, शृंखला न्यायालय हर्षे के रूप में कार्यवाही करेंगे।</p>
34	शृंखला न्यायालय हर्षे	तहसील हर्षे	<p>1. रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद।</p> <p>2. जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामले, निष्पादन वाद एवं अन्य विविध कार्यवाहियों।</p> <p>3. लोक अदालत का कार्य।</p>
35	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, चौरई	तहसील चौरई, चोंद	<p>1. रुपये 5,00,001/- से रुपये 1,00,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. दिवालिया प्रकरण।</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>4. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 (1) तथा 172 (1) और (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>5. ग्राम न्यायालय (जहाँ ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध धारा 31(1) के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका।</p> <p>6. रुपये 500/- तक मूल्य के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अन्तर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादनवाद।</p>

			<p>7. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों।</p> <p>8. लोक अदालत का कार्य।</p> <p>9. प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 छिंदवाड़ा के अति० न्यायाधीश चौरई, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, चौरई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चौरई द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p>
36	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, चौरई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चौरई		रिक्त न्यायालय
37	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, चौरई		रिक्त न्यायालय
38	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चौरई, के न्यायालय के अति० न्यायाधीश चौरई	तहसील चौरई, चोंद	<p>1. रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- मूल्य तक के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलों।</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों।</p> <p>3. लोक अदालत का कार्य।</p> <p>4. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चौरई/शृंखला न्यायालय चौरई द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियों तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p>
39	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 सौसर	तहसील बिछुआ/सौसर	<p>1. रुपये 5,00,001/- से 1,00,00,000/- मूल्य तक के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल वाद।</p> <p>2. दिवालिया प्रकरण।</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>4. म०प्र० नगर पालिका अधिनियम, की धारा 139 (1) तथा 172 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p>
		तहसील सौसर, बिछुआ के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्र को छोड़कर	<p>5. रुपये 500/- तक के लघुवाद (म०प्र० सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा-9 के अन्तर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं निष्पादन वाद।</p> <p>6. ग्राम न्यायालय(जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध धारा 31(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका।</p>

			<p>7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामलों एवं अन्य कार्यवाहियाँ।</p> <p>8. लोक अदालत का कार्य।</p> <p>9. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 सौंसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सौंसर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सौंसर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सौंसर/द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, सौंसर द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियाँ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p>
40	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 सौंसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सौंसर	तहसील <u>बिछुआ/सौंसर</u>	<p>1. रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामला।</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>3. लोक अदालत का कार्य।</p>
41	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सौंसर		<p>1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>2. लोक अदालत का कार्य।</p> <p>3. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सौंसर द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियाँ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p>
42	सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, सौंसर	रिक्त न्यायालय	
43	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, सौंसर	रिक्त न्यायालय	
44	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, पांडुर्णा	तहसील पांडुर्णा	<p>1. रुपये 5,00,001/- से 1,00,00,000/- मूल्य तक के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल वाद। (रुपये 25,000/- तक के मूल्य के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 [क्रमांक 4 सन् 2009] के ग्राम न्यायालय, पांडुर्णा से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>2. दिवालिया प्रकरण।</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।</p> <p>4. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, की धारा 139 (1) तथा 172 (1) एवं (2) के अन्तर्गत</p>

		तहसील पांडुर्णा बिछुआ, सौसर के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्र को छोड़कर	प्रस्तुत प्रकरण। 6. रुपये 500/- तक के लघुवाद (मोप्रो सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा-9 के अन्तर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं निष्पादन वाद। 7. ग्राम न्यायालय(जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध धारा 31(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका।
45	सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, पांडुर्णा		1. रुपये 1/- से 5,00,000/- मूल्य तक के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल वाद। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों। 3. लोक अदालत का कार्य। 4. समकक्ष न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियों तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियों।
	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पांडुर्णा	(सिविल जिला छिन्दवाड़ा) राजस्व तहसील पांडुर्णा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/ जनपद पंचायते तथा अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक पांडुर्णा की जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है पांडुर्णा, ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत की सीमा के भीतर आने वाली स्थानीय क्षेत्राधिकार सम्मिलित नहीं होगा)	1. ₹0 25,000/- तक मूल्य के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) के अंतर्गत सिविल मामलें, निष्पादन वाद एवं विविध सिविल मामला। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) के अंतर्गत अंतरित सिविल मामले, निष्पादन वाद एवं विविध सिविल मामले। 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामले एवं अन्य कार्य।

46	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, परासिया	तहसील परासिया, उमरेठ	<ol style="list-style-type: none"> 1. रुपये 5,00,001/- से रुपये 1,00,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामले। 2. दिवालिया प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद। 4. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, की धारा 139 (1) तथा 172 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
		तहसील परासिया, उमरेठ के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्र को छोड़कर	<ol style="list-style-type: none"> 5. रुपये 500/- तक के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा - 9 के अन्तर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं निष्पादन वाद। 6. ग्राम न्यायालय (जहाँ ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध धारा 31 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामलों एवं अन्य कार्यवाहियों। 8. प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, छिंदवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश परासिया, द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियों तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियों। 9. लोक अदालत का कार्य।
47	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, परासिया की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, परासिया		<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। 2. लोक अदालत का कार्य।
48	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, परासिया	तहसील परासिया, उमरेठ	<ol style="list-style-type: none"> 1. रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामलों एवं अन्य कार्यवाहियां। 3. लोक अदालत का कार्य। 4. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 परासिया, द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियों तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियों।
49	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1,	तहसील जुन्नारदेव	1. रुपये 5,00,001/- से 1,00,00,000/- तक

	<p>जुन्नारदेव की न्यायालय के (जामई), तामिया अतिरिक्त न्यायाधीश, जुन्नारदेव (जामई)</p>	<p>मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामला। 2. दिवालिया प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद। 4. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, की धारा 139 (1) तथा 172 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p>
	<p>तहसील जुन्नारदेव (जामई), तामिया के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्र को छोड़कर</p>	<p>5. रुपये 500/- तक के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा - 9 के अन्तर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं निष्पादन वाद। 6. ग्राम न्यायालय(जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो)द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध धारा 31(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामलों एवं अन्य कार्यवाहियां। 8. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, जुन्नारदेव (जामई)/प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, छिंदवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियां तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 9. लोक अदालत का कार्य। नोट :- जिस अवधि में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जुन्नारदेव, शृंखला न्यायालय के रूप में तामिया में कार्यरत रहेगी, उक्त अवधि में तहसील जुन्नारदेव जामई के रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जुन्नारदेव एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जुन्नारदेव द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियां तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां एवं अन्य कार्य।</p>
50	<p>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश तहसील जुन्नारदेव वर्ग-2, जुन्नारदेव (जामई)</p>	<p>1. रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद। 2. जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों, निष्पादन वाद एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। 3. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जुन्नारदेव द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियां तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं</p>

			कार्यवाहियों। 4. लोक अदालत का कार्य। नोट :- जिस अवधि में शृंखला न्यायालय तामिया कार्यरत नहीं रहेगी, उक्त अवधि में तहसील तामिया के रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यों में पीठासीन अधिकारी शृंखला न्यायालय तामिया के रूप में ही कार्यवाही करेंगे।
51	सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, जुन्नारदेव (जामई)	रिक्त न्यायालय	---
52	शृंखला न्यायालय तामिया	तहसील तामिया	1. रुपये 1/- से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल मामलों तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद। 2. जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल मामलों, निष्पादन वाद एवं अन्य विविध कार्यवाहियों। 3. लोक अदालत का कार्य।


नोट :-लोक अदालत छिन्दवाड़ा/सौसर/अमरवाड़ा/चौरई/परासिया/पांडुर्णा/जुन्नारदेव/तामिया/हरई के माध्यम से निराकृत सिविल मामलों से संबंधित निष्पादन कार्यवाहियां आदि प्रकरण अंतरित किए जाने वाले न्यायालय (मूल न्यायालय) में ही प्रस्तुत किए जावें।


- 1- केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय में पंजीयन उपरान्त संबंधित प्रकरण, इस कार्य विभाजन के आदेशानुसार संबंधित न्यायालय को अंतरित माना जावेगा।
- 2- इस कार्य विभाजन पत्रक का, पूर्व से लंबित मामलों के श्रवणाधिकार के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् उक्त मामले यथावत जिस न्यायालय में लंबित हैं, उसी न्यायालय में ही विचारण यथावत किया जावेगा।
- 3- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं वर्ग-2 को कार्य विभाजन का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर रहेगा।
- 4- रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य एवं माननीय उच्च न्यायालय, अपील न्यायालय से संबंधित कार्य उनके प्रभारी न्यायालय द्वारा सम्पादित किया जावेगा। यदि प्रभारी न्यायालय का पद रिक्त है तो कमानुसार आगामी प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त कार्य किया जावेगा। इस कार्य विभाजन आदेश के अतिरिक्त यदि कोई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से रिमांड होकर वापस प्राप्त होता है तो उक्त मामला स्वयमेव ही उसके प्रभारी न्यायालय को अंतरित होना माना जावेगा, पृथक से अन्तरण आदेश की आवश्यकता नहीं रहेगी। न्यायालय रिक्त होने अथवा पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में आवश्यक कार्य का प्रभार पृथक से जारी आदेश के अनुसार रहेगा।

- 5- रिक्त न्यायालय के संबंध में समस्त जानकारी माननीय उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय को उसके प्रभारी न्यायालय द्वारा ही दी जायेगी एवं रिक्त न्यायालय के अपील/रिवीजन से प्राप्त अभिलेख का नतीजा पंजी में दर्ज कराकर अभिलेखागार में जमा करने की कार्यवाही भी प्रभारी न्यायालय के द्वारा ही की जावेगी।
- 6- किसी विचाराधीन दंडिक या सिविल वाद में कोई भी अंतरिम आवेदनपत्र पेश होते हैं, तो सीधे उसी संबंधित विचारण न्यायालय में पेश किया जायेगा; किन्तु फाईलिंग काउण्टर पर पंजीयन/प्रविष्टि हेतु उसे भेजते हुये वह आवेदन निराकृत होने की दशा में संबंधित प्रस्तुतकार उसका निराकरण भी दर्ज करायेंगे।
- 7- ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश में अत्यावश्यक एवं तात्कालिक सुनवायी प्रकृति के वादों एवं आवेदनों को ग्रहण एवं निराकृत करने की कार्यवाही, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा की जा सकेगी यदि संबंधित न्यायालय रिक्त हो अथवा पीठासीन न्यायाधीश अवकाश पर हों तो उस न्यायालय के प्रभारी न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जावेगी।
- 8- कोई भी जमानत आवेदनपत्र, विविध आवेदनपत्र के आधार पर पृथक से प्रकरण दर्ज होता है और उसमें कोई भी आदेश पारित होता है तो मूल मामले में उस आदेश की प्रति शामिल किये जाने का निर्देश सदैव प्रस्तुतकार को संबंधित न्यायालय द्वारा दिया जायेगा।

छिन्दवाड़ा

दिनांक :- 18-06-2020


(बी०एस०भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा (म०प्र०)



कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा (म०प्र०)
आदेश

क्रमांक 102 / एस०डब्ल्यू/2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18-06-2020

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 एवं 10 तथा म०प्र० सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा-15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस संबंध में पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को अतिष्ठित (Separation) करते हुये छिन्दवाड़ा में पदस्थ विशेष न्यायाधीश (अजा०अजजा० [अ०नि०]अधिनियम)/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/(एनडीपीएस अधि०)/(एनआईए अधि०), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, साँसर, जुन्नारदेव, सिविल जज वर्ग-1 एवं सिविल जज वर्ग-2 छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, साँसर, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव की अनुपस्थिति में या किसी भी प्रकार के अवकाश काल में अथवा न्यायालय के रिक्त होने की दशा में उनके न्यायालय के अत्यावश्यक कार्यभार की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है। उक्त आदेश अन्य स्थापनाओं पर स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों के रिलीव होने एवं इस जिले में स्थानांतरण होकर आये न्यायिक अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगा, जो कि आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

अ०क -०	न्यायालय/न्यायाधीश का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
1	2	3
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा	प्रथम प्रभार —विशेष न्यायाधीश (अजा०अजजा० [अ०नि०]अधिनियम)/प्रथम अपर जिला न्या०छिन्दवाड़ा के प्रथम अति०न्यायाधीश छिन्दवाड़ा। द्वितीय प्रभार —प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा। तत्पश्चात् —उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा।
2	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिट्री) एवं प्रथम अपर जिला न्या०छिन्दवाड़ा के प्रथम अति०न्या० छिन्दवाड़ा	प्रथम प्रभार — प्रथम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा। द्वितीय प्रभार — चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा। टीप :- अजा०अजजा० [अ०नि०]अधिनियम 1989 के विशेष मामलों, एनडीपीएस अधि० एवं एनआईए के मामलों का प्रभार सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को रहेगा और उनके अनुपस्थिति की दशा में उक्तानुसार प्रथम व आगे के प्रभार रहेंगे।
3	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा	प्रथम प्रभार — प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश छिन्दवाड़ा। द्वितीय प्रभार — द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा। तत्पश्चात् —उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा।


		उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा ।
12	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौरई	प्रथम प्रभार— विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, अमरवाड़ा । द्वितीय प्रभार— अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अमरवाड़ा तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा ।
13	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अमरवाड़ा	प्रथम प्रभार— विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, अमरवाड़ा । द्वितीय प्रभार— तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा । तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा ।
14	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जुन्नारदेव	प्रथम प्रभार— पंचम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा । द्वितीय प्रभार— चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा । तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा ।
15	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ प्रथम सिविल जज वर्ग-1, छिन्दवाड़ा	प्रथम प्रभार— चतुर्थ सिविल जज वर्ग-1 छिन्दवाड़ा । द्वितीय प्रभार— द्वितीय सिविल जज वर्ग-1 छिन्दवाड़ा । तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1 तथा यदि सिविल जज वर्ग-2 की आर्थिक सुनवासी क्षेत्राधिकार में आने वाला मामला हो तो वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-2 के यहां ।
16	द्वितीय सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा	प्रथम प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा । द्वितीय प्रभार— चतुर्थ सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा । तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1 छिन्दवाड़ा ।
17	ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, छिंदवाड़ा	प्रथम प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा । द्वितीय प्रभार— द्वितीय सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा । तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा ।
18	चतुर्थ सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा	प्रथम प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा । द्वितीय प्रभार— पंचम सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा । तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा ।
19	पंचम सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा	प्रथम प्रभार— द्वितीय सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा । द्वितीय प्रभार— चतुर्थ सिविल जज वर्ग-1, छिंदवाड़ा । तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा ।
20	प्रथम ब्यवहार न्यायाधीश	प्रथम प्रभार— द्वितीय सिविल जज वर्ग-2, छिंदवाड़ा ।

		द्वितीय प्रभार— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छिंदवाड़ा तृतीय प्रभार— पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छिंदवाड़ा। तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 छिंदवाड़ा।
28	सिविल जज वर्ग-1 चौरई	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-2 चौरई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चौरई। (केवल सिविल जज वर्ग-2 की सुनवाई योग्य प्रकरणों के लिये) द्वितीय प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-1 छिंदवाड़ा। तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1 छिंदवाड़ा।
29	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, चौरई न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चौरई	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 चौरई। द्वितीय प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-2 छिंदवाड़ा। तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-2 छिंदवाड़ा।
30	सिविल जज वर्ग-1 पाण्डुर्णा	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-2 पाण्डुर्णा (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 की सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)। द्वितीय प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 सैरर तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1 छिंदवाड़ा।
31	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय पाण्डुर्णा	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 पाण्डुर्णा। द्वितीय प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 सैरर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सैरर
31-ए	सिविल जज वर्ग-2 पाण्डुर्णा	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 पाण्डुर्णा। द्वितीय प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-2 सैरर तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1, सैरर/छिंदवाड़ा।
32	सिविल जज वर्ग-1 जुन्नारदेव	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 परासिया, द्वितीय प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-1 छिंदवाड़ा तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1 छिंदवाड़ा।
33	शृंखला न्यायालय, तामिया	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 जुन्नारदेव। द्वितीय प्रभार— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, परासिया। तृतीय प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, परासिया। तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/वर्ग-2 छिंदवाड़ा।
34	प्रथम सिविल जज वर्ग-2,	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 जुन्नारदेव।

	जुन्नारदेव	द्वितीय प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-2 परासिया, तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1 छिन्दवाड़ा।
35	सिविल जज वर्ग-1 परासिया	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1, परासिया की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, परासिया। द्वितीय प्रभार— सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों हेतु प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 परासिया। तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1 छिन्दवाड़ा।
36	सिविल जज वर्ग-1, परासिया की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, परासिया	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 परासिया। द्वितीय प्रभार— सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों हेतु प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 परासिया। तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1 छिन्दवाड़ा।
37	प्रथम सिविल जज वर्ग-2 परासिया	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 परासिया। द्वितीय प्रभार— सिविल जज वर्ग-1, परासिया की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, परासिया तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-2 छिन्दवाड़ा।
38	सिविल जज वर्ग-1 साँसर	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 साँसर की न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश, साँसर द्वितीय प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-1, छिन्दवाड़ा। तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1 छिन्दवाड़ा।
38अ	सिविल जज वर्ग-1 साँसर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, साँसर	प्रथम प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-2, साँसर। (केवल सिविल जज वर्ग-2 की सुनवाई योग्य प्रकरणों के लिये) द्वितीय प्रभार— प्रथम सिविल जज वर्ग-1, साँसर। तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-1 छिन्दवाड़ा।
39	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, साँसर	प्रथम प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 साँसर। द्वितीय प्रभार— सिविल जज वर्ग-1 साँसर की न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश, साँसर। तत्पश्चात्—उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम सिविल जज वर्ग-2 छिन्दवाड़ा।
रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक सी/6697 जबलपुर, दिनांक 19.12.2014 के निर्देशानुसार		
39	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय छिन्दवाड़ा	प्रथम प्रभार— जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा। द्वितीय प्रभार— प्रथम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा के न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश छिन्दवाड़ा।

		<p>तृतीय प्रभार- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा। तत्पश्चात्- उपरोक्त के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा।</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1- इस कार्य विभाजन पत्रक का न्यायाधीशों के दरिष्ठता क्रम पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 2- वर्तमान में जो न्यायालय रिक्त है, उनके प्रवर्तन प्रकरण/विविध न्यायिक प्रकरण उनके प्रभारी न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और प्रभारी न्यायालय द्वारा ही उन प्रकरणों को स्वमेव अंतरित होना मानकर निराकरण किया जावेगा।
- 3- वर्तमान में जो अपर जिला न्यायालय रिक्त हैं, उनके न्यायालय से संबंधित बजावरी, विविध प्रकरण, अपील न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में आगामी कार्यवाही करने, किराया व्हाउचर जमा एवं निकालने हेतु न्यायालय के समक्ष अंकित प्रथम प्रभारी तथा उनके रिक्त होने की स्थिति में आगामी प्रभारी अधिकारी के न्यायालय में दायरा रजिस्टर, बोर्ड डायरी, क्लेम संबंधी व्हाउचर बुक आदि समस्त दस्तावेज उक्त न्यायालय के प्रस्तुतकार को सौंपने हेतु अधिकृत किया जाता है।
- 4- ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान न्यायाधीशगण के आवश्यक प्रभार के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अवकाश के पूर्व विशेष आदेश पारित न किये जाने की दशा में सामान्य प्रभार ही यथावत् लागू होगा।


 (बी.एस.सोमदोरिया)
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 छिन्दवाड़ा (म०प्र०)